

परिपत्र सं.आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/ईओएम/84/4/2023
Cir No. IRDAI/F&I/CIR/EOM/84/4/2023

दिनांक: 05 अप्रैल 2023
Date: 05th April 2023.

परिपत्र
CIRCULAR

विषय: आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023 – स्पष्टीकरण।

Reg.: IRDAI (Expenses of Management of insurers transacting Life Insurance business) Regulations 2023 - Clarifications.

1. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 19 के अंतर्गत निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:
The following clarification is issued under Regulation 19 of the said Regulations:

**विनियम 10 की अनुसूची-I के भाग क की क्रम सं. 1(ii)(क)
SI.No.1(ii)(a) of Part A of Schedule I of Regulation 10**

- i) पाठ "प्रथम वर्ष नियमित प्रीमियम" को "10 वर्ष और उससे अधिक प्रीमियम भुगतान अवधि से युक्त पालिसियों के संबंध में" के रूप में पढ़ा जाएगा।
- i) The text "First year Regular Premium" shall be read as "In respect of policies with premium payment term 10 years and above".

**विनियम 10 की अनुसूची-I के भाग क की क्रम सं. 11(i)
SI.No.11(i) of Part A of Schedule – I of Regulation 10**

- ii) विनियम के भाग-II के 4(10) पर उल्लिखित प्रबंधन के अनुमतियोग्य व्ययों का % (एक प्रतिशत का पचासवाँ भाग) प्रचलित है। इस प्रकार, 0.05 को 0.02 के रूप में पढ़ा जाएगा।
- ii) The % (one-fiftieth of one percent) of allowable expenses of management mentioned at 4(10) of Part – II of the regulation prevails. Thus, 0.05 shall be read as 0.02.

2. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

This has the approval of the competent Authority.



(अम्मु वेंकटरमणा / Ammu Venkata Ramana)
महाप्रबंधक (वित्त व निवेश) / General Manager (F&I)